

प्रधक.

डा० महेन्द्र देव
सदस्य सचिव (माध्यमिक समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा मे०

सचिव
कोन्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली-110301

माध्यमिक शिक्षा(NOC)अनुभाग

मेरठ दिनांक : 05-08-2014

विषय - विद्या ग्लोबल स्कूल, विद्या नॉलिंग पार्क, बागपत रोड, मेरठ को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अगापति प्रभाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त प्रधक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा घटित मण्डलीय समिति की फैल किया गया निर्णय के अनुपालन में उक्त सम्बित विद्यालय को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नान्वित प्रतिवन्धों के अधीन अगापति प्रभाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत रोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के भौतिक एवं शिक्षणीकरण कार्यालयों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले कर्मचारियों को अनुमन्य रोवानिगृहिति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वर्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ वैशिक शिक्षा परिषद् द्वारा संबालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं दिया जायेगा।
- (5) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- (6) विद्यालय द्वारा छात्रों ने कोशलमनी (प्रियोरिटी), भवन शुल्क (मैनीनेन्स), प्रोफेशन शुल्क, डोमेशन मैनेजमेंट शुल्क, विकास शुल्क वर्गों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (10) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (11) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं ही जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता रैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्कुकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फॉर इंडियन रेक्यूल सर्टीफिकेट इक्यूमिनेशन, नई दिल्ली से

sumec (मे०)

Principal
Vidya Global School
Vidya Knowledge Park
Baghpat Road, Meerut-250002

Rishabh (रिशभ)
Managing Director
Vidya Global School
Vidya Knowledge Park, Baghpat Road
Meerut-250002

6

- प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेग।
- (12) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी०१० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- (14) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक्का या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय सभिता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-३३७०/म०८० (१५)/२०१४ तद दिनांक।

प्रतीलिपि निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आगुकल, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, मेरठ।
- (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-७ अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- (6) प्रबन्धक, विद्या ग्लोबल स्कूल, विद्या नॉलिज पार्क, बागपत रोड, मेरठ।

डा०(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

sunee

Principal
Vidya Global School
Vidya Knowledge Park
Baghpat Road, Meerut-250002

Dulquer

Managing Director
Vidya Global School
Vidya Knowledge Park, Baghpat
Meerut-250002